



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)


क्रमांक एफ 2( )परावि/प्रशा.1/वि.अ/स्था/पदस्थापन/एपीओ/2016/2431

जयपुर, दिनांक-31/7/18

—:आदेश:—

विभागीय आदेश क्रमांक 1359 दिनांक 17.5.2018 (क.स. 38) द्वारा श्री शैलेश रंजन विकास अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन पंचायत समिति अटरू जिला बांरा से सुल्तानपुर जिला कोटा में किया गया था, को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, कोटा।
7. जिला कलेक्टर, कोटा/बांरा।
8. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा/बांरा।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति अटरू/सुल्तानपुर।
10. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. श्री शैलेश रंजन, विकास अधिकारी पंचायत समिति अटरू जिला बांरा को पालनार्थ।
12. आदेश पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)